



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

अटल भूजल योजना





CB एजेंसी का परिचय और एक दूसरे को जाने

CB Agency : Intecco Technical Services Pvt. Ltd

1. अटल भूजल योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्षमता निर्माण का कार्य कर रही है।
2. कंपनी ने क्षमता निर्माण के साथ-साथ कौशल विकास, आईईसी गतिविधियों, आउटसोर्सिंग सेवाओं, आईटी में भी कार्य किया है।

आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज में हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे ताकि हम आगे सहज महसूस कर सकें।





भूजल और पेयजल की स्थिति:

भारत के लगभग दो-तिहाई - 63 प्रतिशत - जिले भूजल स्तर गिरने से पहले ही खतरे में हैं। कई मामलों में, भूजल दूषित हो रहा है। चिंताजनक बात यह है कि जिन जिलों में भूजल स्तर 8 मीटर से नीचे चला गया है, वहां गरीबी दर 9-10 प्रतिशत अधिक है, जिससे छोटे किसान विशेष रूप से कमजोर हो गए हैं। यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो भारत की कम से कम 25 प्रतिशत कृषि जोखिम में होगी।

- हरियाणा में भू-जल स्तर (Ground water level) रिकॉर्ड 81 मीटर (265.748 फुट) से नीचे चला गया है. पिछले एक दशक में लगभग दो गुना संकट बढ़ा है.
- 10 साल पहले यहां का भू-जल 40 से 50 मीटर नीचे मिला करता था.
- जाहिर है कि अत्यधिक दोहन से ऐसे हालात पैदा हुए हैं.



आपकी ग्राम पंचायत में भूजल की स्थिति, गौर करें :



घटते भूजल स्तर पर चर्चा करें:

- ✓ आज से 15 साल पहले आपके गांव में भूजल कितने स्तर तक था?
- ✓ आज कितने स्तर पर है?
- ✓ अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में क्या हालात होंगे।





श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री हरियाणा



हरियाणा जल संसाधन विभाग

तेजी से घट रहे भूजल को बचाने के लिए सहयोग करें



अटल भूजल योजना



THE WORLD BANK



हरियाणा की भूजल स्थिति

जल सन्निधता की संदर्भ सीमा (एम.सी.डी.एल.) - जल 2020

- 1.0-1.5 (सर्वोत्तम जल से जल सन्निधता)
- 1.5-2.0 (समर्पित जल सन्निधता)
- 2.0-2.5 (जल सन्निधता को धीरे धीरे खतरा)
- 2.5-3.0 (सूखने की शुरुआत)
- 3.0-3.5 (समर्पित भूजल सन्निधता)
- 3.5-4.0 (निम्न भूजल सन्निधता)
- 4.0-4.5 (खतरा और अधिक (सर्वोत्तम जल से भूजल सन्निधता))

स्रोत: हरियाणा जल संसाधन विभाग (HAWA)

जल है तो कल है।

हरियाणा के 14 भूजल संकट वाले जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत कारी किए जा रहे हैं -

- सार्वजनिक स्वयं सहायता समूह
- जल संचयन
- जल संचयन योजना
- जल परिक्षण केंद्र
- जल पूर्ति निर्माण

आप भूजल की स्थिति बदल सकते हैं

भूजल प्रयोग (प्रस्तावित)

- जल संचयन के अलावा जल संचयन योजना
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग)
- जल की खेती के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग)
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग के अलावा)
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग के अलावा)

सुझाव

- जल संचयन के अलावा जल संचयन योजना
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग के अलावा)
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग के अलावा)
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग के अलावा)
- जल संचयन के अंतर्गत कार्य (प्लग-रिडिंग के अलावा)

सोशल नेटवर्क - सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

Website: <https://hwa.jalhid.gov.in> | <https://sreacha.haryana.gov.in> | <https://hwa.org.in/>

मांग क्षेत्र

जैविक खेती को बढ़ावा

ड्रिप सिंचाई कम पानी से अधिक उत्पादन

स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई

फसल विविधिकरण

जीरो टिलेज के द्वारा गेहूं की खेती

ब्राड बेड फुयरो विधि डिप सिंचाई

कृषि वानिक को बढ़ावा

मियावाकी पद्धति से वनरोपण

डी. एस. आर. विधि से धान की खेती

पूति क्षेत्र

- रिचार्ज साफ्ट
- इंजेक्शन वैल
- जलागम विकास
- वर्षा पानी संग्रहण टैंक
- फार्म पौण्ड
- पौण्ड रिजुनेवेशन

आपकी ग्राम पंचायत में भूजल की स्थिति, गौर करें :



घटते भूजल स्तर पर चर्चा करें:

- ✓ आज से 15 साल पहले आपके गांव में भूजल कितने स्तर तक था?
- ✓ आज कितने स्तर पर है?
- ✓ अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में क्या हालात होंगे।



वर्ष 2022-23 में भूजल का स्तर व गुणवत्ता पर विस्तारपूर्वक चर्चा:

जिला फरीदाबाद अहमदपुर ब्लॉक बल्लभगढ

पानी में खनिज तत्वों की सामान्य आवश्यकता	PH	EC(μ s/cm)	TDS(mg/l)	Total Hardness(mg/l)	Calcium(mg/l)	Magnesium(mg/l)	Sodium(mg/l)	Potassium(mg/l)	Carbonate(mg/l)	Bicarbonate(mg/l)	Sulphate(mg/l)	Chloride(mg/l)	Fluoride(mg/l)	Nitrate(mg/l)
	6.5-8.5	750	500	200	75	30	200	40	200	200	200	250	1	45

ग्राम पंचायत	PH	EC(μ s/cm)	TDS(mg/l)	Total Hardness(mg/l)	Calcium(mg/l)	Magnesium(mg/l)	Sodium(mg/l)	Potassium(mg/l)	Carbonate(mg/l)	Bicarbonate(mg/l)	Sulphate(mg/l)	Chloride(mg/l)	Fluoride(mg/l)	Nitrate(mg/l)	WQI Status
अहमदपुर	8.13	2600	1526	280	24	53.46	450	4.8	56	404	168	324.8	0.8	11	Poor

उक्त का अनुश्रवण करें तो ग्राम छप्परपुर का वर्तमान भूजल स्तर के साथ-साथ जल की गुणवत्ता भी न्यून है जो हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिहाज से गविष्य के लिय अत्यधिक चिन्ता का विषय है यदि हम वर्तमान में सुधार का प्रयास नहीं करते तो यह स्थिति गविष्य में और भी अधिक गम्भीर हो सकती है।

अटल भूजल योजना के घटक

- संस्थागत सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण घटक।
- केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न चल रही योजनाओं के बीच सामुदायिक भागीदारी, मांग प्रबंधन और अभिसरण ।

हरियाणा में भूजल संकट

हरियाणा के धान उत्पादक जिलों में पानी सबसे बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। धान उत्पादक जिलों अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, जींद और हिसार में भूमिगत जल की निकासी 85 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है तो दिल्ली के साथ सटे गुड़गांव में पानी की कमी, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण वहां भी 85 प्रतिशत से अधिक जल की निकासी की जा चुकी है।

गुड़गांव जिले के फरुखनगर, गुड़गांव, पदौदी और तावड़ ब्लॉक के 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1400 में फैले 20993 नलकूपों में से 1430 नलकूपों ने दम तोड़ दिया है।

फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लॉक पानी के मामले में कब जवाब दे जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता।

किसानों द्वारा फसलों की विविधिकरण की प्रक्रिया न अपनाए जाने, धान उत्पादक जिलों में धान की दो-दो फसलें लिए जाने और गुड़गांव फरीदाबाद व सोनीपत जैसे जिलों में औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी का संकट खड़ा हुआ है।

भूजल प्रबंधन में कृषक की भूमिका

- ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली जैसी आधुनिक सिंचाई की तकनीकों को अपनाया जाए
- सामुदायिक स्तर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं जैसे ड्रिलिंग की गहराई, कुंओं के बीच दूरी, फसल लगाने का पैटर्न शामिल है जिससे एक्वीफर की स्थिरता और भागीदारीपूर्ण भूजल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
- अत्यंत उन्नत तकनीक और कम पानी में उगने वाले बीजों का इस्तेमाल करने को प्राथमिकता दी जाए
- मिट्टी में नमी को बांधे रखने के लिए जुताई गहरी की जाये
- सतही खेती को प्राथमिकता दी जाये और प्लास्टिक मल्टिचिंग का उपयोग किया जाये।
- बारिश के पानी को इकट्ठा करके खेती करने तकनीक और भी कारगर हो जाती है
- वाटर शेड का उपयोग करके किसानों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है.

भूजल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका

महिलाएं पशुपालन, बागवानी, कटाई के बाद के कार्यकलाप कृषि/सामाजिक, वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

महिलाएं पानी की बर्बादी रोकने तथा बचत का तरीका बतायें।

ग्राम पंचायत वार बरसात के आंकड़े जुटा कर बारिश के पानी के संचयन के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकती हैं।

भूजल प्रबन्धन में VWSC की भूमिका

- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुभागों द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं जल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है।
- इसमें गाव का सरपंच अध्यक्ष होगा, जबकि महिला पंच संयोजक व इसमें 11 सदस्य और होंगे। यह समिति ग्राम पंचायत को जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए तथ्य एवं आकड़े और ग्राम जल सुरक्षा योजना के लिए प्रदान करवाएगी।
- **ग्राम जल व स्वच्छता समिति के कर्तव्य निम्न है :**
- गांव में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना।
- जल संरक्षण के तरीकों को अपना कर जल संरक्षण करना ।
- पानी को गन्दा होने से बचाना।
- पानी की गुणवत्ता जांचना ।
- प्रत्येक घर में पानी का निजी कनेक्शन सुनिश्चित करना।
- गंदे पानी की निकासी का समुचित प्रावधान करना।
- प्रत्येक कनेक्शन पर टॉटी सुनिश्चित करना ।

भूजल प्रबन्धन में VWSC की भूमिका

- भूजल प्रबंधन के मुद्दों पर समुदाय को जागरूक व संगठित करना ।
- वार्षिक जल बजट अभ्यास आयोजित करना
- भूजल प्रबंधन हेतु ग्राम स्तरीय गतिविधियों को चिन्हित करना ।
- DIPs के साथ मिलकर गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार करना।
- ग्राम स्तरीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय प्रतिभाग व समन्वय स्थापित करना ।
- ग्राम स्तर पर जल सम्बन्धी जानकारी एकत्र करना और उपलब्ध कराना।
- ग्राम जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाना । सभी समूहों, विशेष रूप से महिलाओं एवं कमजोर वर्ग की योजना कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करवाना।
- मांग आधारित योजना गतिविधियों हेतु लाभार्थियों के चिन्हीकरण जिला / राज्य स्तरीय कार्यदायी विभागों के साथ समन्वय ।

भारतीय सन्दर्भ में भूजल उपयोग

01

भारत की लगभग 85: प्रतिशत ग्रामीण एवं 50: शहरी आबादी पेयजल सहित पानी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भूजल का उपयोग करती है। विश्व में भूजल का सबसे प्रमुख उपभोक्ता



02

खाद्य एवं कृषि उत्पादन में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान में औसतन 65: सिंचाई का कार्य भूमिगत जल से



03

भूजल के अत्यधिक व अनियमित निष्कर्षण के परिणामस्वरूप देश के कई राज्यों में भूजल के स्तर में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है और भूजल समाप्ति की कगार पर पहुँच चुका है



04

केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा राज्य भूजल संगठनों ने भूजल विकास की दिशा में उठाए गए कदमों में से अटल भूजल योजना भी एक कदम



भूजल प्रबन्धन हेतु चलाई जा रही अनुदान योजनाएं:

अटल भूजल योजना
सहभागी भूजल प्रबंधन

म्हारा पाणी म्हारी विरासत

क्या है अटल भूजल योजना ?

भारत सरकार और हरियाणा सरकार का एक संयुक्त पहलु। महाराष्ट्र भूजल सेक्टर से निपटने की एक राष्ट्रीय कोशिश।

भूजल के क्षेत्र की निगरानी को सामूहिक सहभागीता के माध्यम से, एक काम करने वाला **सुझाव प्रणाली**।

- गांव में सहभागीता भूजल प्रबंधन प्रक्रिया को गठन करना
- गांव स्तर पर भूजल को मापने और जल को के लिए मांग स्थापित करना
- ग्रामवासियों को भूजल प्रबंधन पर सार्वजनिक निर्माण
- ग्रामवासियों को भूजल प्रबंधन को लेकर जागरूक बनाना
- समुदाय के नेतृत्व में गांव की जन सुरक्षा योजना तैयार करना
- भूजल को बढ़ाने के लिए गांव के जोड़ों और तालाबों का संरक्षण, सुझाव सिंचाई को प्रोत्साहन और फसल पानी को जल संचयन पानी फसलों को बढ़ाना

खासियत

भूजल प्रबंधन के संबंध में निर्माण लेने के लिए ग्रामीणों को पूर्ण अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए प्रशासन सक्षम।

आज भूजल बचाएंगे - आने वाला कल बचाएंगे

निवेदक
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अटल भूजल योजना
सहभागी भूजल प्रबंधन

म्हारा पाणी म्हारी विरासत

भूजल बचाने के लिए क्या करें ??

- फसलों की सिंचाई के लिए ट्रिप और फसलों का इस्तेमाल करें।
- जो फसलें ज्यादा पानी लेती हैं, उनकी जगह का कम पानी कि जल संचयन वाली फसलें लगाएं।
- बारिश के जल का संरक्षण एवं उपयोग में लाएं।
- अपने गांव के जोड़ों को गन्दा ना करें और उनका रखरखाव करें।
- एकत्रित (नलकूप) वाले पानी को खर्च ना बहावें।
- ग्रामवासी मिलकर अपने गांव के जल सेक्टर के अनुसार जल सुरक्षा योजना तैयार करें।
- सब ग्रामवासी मिल कर भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी लें।

भूजल बचाएंगे - जीवन बचाएंगे

निवेदक
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
हरियाणा सरकार

विशेष रूप से राज्य में धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए

श्रेणी	भाग का प्रकार	लागत इकाई प्रति एकड़ (रुपये)	अनुदान प्रति एकड़ (रुपये)
क	सामान्य ढुंगी वाले बागों के लिए (6 मी० X 7 मी० एवं अधिक) केर, नींबू, रसीची, अनार, आम, एवं नारंगवाली आदि फलों के लिए। प्रति एकड़ लगभग 95 पीछे।	65,000/-	कुल अनुदान 32,500/- (लागत का 50%) • प्रथम वर्ष-10,000/- • द्वितीय वर्ष-6500/- • तृतीय वर्ष-6500/-
ख	सधान बागों के लिए (6 मी० X 6 मी० एवं इससे कम) आम, अमरुद, नींबू, नारंग, अनार, आम, नारंगवाली, अमरुद, पपीता एवं इंगन फल आदि फलों के लिए। प्रति एकड़ लगभग 111 एवं इससे अधिक पीछे।	1,00,000/-	कुल अनुदान 50,000/- (लागत का 50%) • प्रथम वर्ष-30,000/- • द्वितीय वर्ष-10,000/- • तृतीय वर्ष-10,000/-
ग	टिशु कवचर खजूर (8 मी० X 8 मी० व इससे अधिक) प्रति एकड़ लगभग 63 पीछे।	2,00,000/-	कुल अनुदान 1,40,000/- (लागत का 50%) • प्रथम वर्ष-84,000/- • द्वितीय वर्ष-28,000/- • तृतीय वर्ष-28,000/-
घ	Trellising System/कंधा जल प्रणाली (खजूर, अनार, इंगन फल, अमरुद, अमरुद इत्यादि बागों के लिए)	1,40,000/-	कुल अनुदान 70,000/- (लागत का 50%) एक वृत्त अनुदान

- एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र में अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- आवेदन हेतु hortnet.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- अनुदान पहले आने वाले फसलों के आधार पर।
- मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण अनिवार्य।
- सुझाव सिंचाई/ट्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने के लिए <http://micada.haryana.gov.in> पर आवेदन करें।
- अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें।

उद्यान विभाग हरियाणा
उद्यान विभाग, सेक्टर -21, पंचकुला -134112

टोल फ्री नंबर:
1800-180-2021

दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य जिलों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा

दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने हेतु नई योजना शुरू

- किसानों को दी जाएगी **₹4,000/एकड़ वित्तीय सहायता**
- किसानों के खेतों में **सीधे ट्रांसफर** की जाएगी राशि
- “मेरी फसल-मेरा ब्योरा”** पोर्टल पर करना होगा

जल मापक उपकरण:



रेन गेज—वर्षा मापक यंत्र

फ्लो मीटर—पाईप या नाली में माध्यम से चलने वाली गैस, वाष्प या तरल की मात्रा को इंगित करने,

पीजो मीटर—भूमिगत जल के दबाव को मापने हेतु

वाटर टेस्टिंग किट—जल गुणवत्ता जांचने हेतु

वाटर लेवल इंडिकेटर—पानी की गहराई नापने हेतु

सामुदायिक सहभागिता का नेतृत्व:

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC द्वारा गांव व ग्राम स्तर पर समय समय बैठकों का आयोजन कर सरकार द्वारा विभागीय के माध्यम से संचालित योजनाओं की समुदाय को जानकारी उपलब्ध कराना व योजनाओं से ग्राम वासियों को लाभान्वित करना।

- ❖ जल सुरक्षा योजना निर्माण व योजना के क्रियान्वयन में समुदाय को जागरूक कर अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ योजनाओं के नियोजन में नीचे से ऊपर सकी पद्धति का प्रयोग। समुदाय की सहभागिता।
- ❖ योजनाओं के बारे में लाभार्थी समुदाय के लिए अभिमुखीकरण, क्षमता विकास तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- ❖ भूजल प्रबन्धन के क्षेत्र में किये गये सफल एवं अनुकरणीय प्रयासों (Success stories and best practices) की लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना।

जल सुरक्षा / दक्षता हेतु हस्तक्षेप:



Micro irrigation-Sprinkler
सूक्ष्म सिंचाई- फव्वारा



- MICADA
- PMKSY
- MPMV



Micro irrigation -Drip
सूक्ष्म सिंचाई- टपक



- MICADA
- PMKSY
- MPMV



यूजीपीएल के
माध्यम से सिंचाई



- RKVY



फसल विविधीकरण



- MPMV



पानी की बचत के अन्य उपाय



- MPMV
- (DSR,ZT.BBF,RBP)

जल बजट व जल सुरक्षा योजना पर चर्चा:

- जल बजट क्या है: जल बजट वह बजट है जिसे VWSC के सदस्य व ग्राम वासियों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं समस्याओं का प्राथमिकीकरण कर बजट का आंकलन किया जाता है। जिसके बाद बजट को अनुमोदित किया जाता है।
- जल सुरक्षा योजना: VWSC के सदस्य व ग्राम वासियों द्वारा चयनित समस्याओं के निस्तारण हेतु प्राथमिकता के आधार पर जल सुरक्षा योजना में शामिल किया जाता है। और समय समय पर बैठके आयोजित कर योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं। जैसे अटल भजल के तहत हम निम्न गतिविधियों को अपनी योजना में शामिल करते हैं।

ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) स्प्रिंकलर (Sprinkler) रिचार्ज साफ्ट, इंजेक्शन वेल, जलागम विकास (Watershed Development) वर्षा पानी संग्रहण टैंक (Rain Water Harvesting) व फार्म पौण्ड आदि को शामिल किया जा सकता है।

नोट: यदि ग्राम स्तर पर जल सुरक्षा योजना में कोई गतिविधि जोड़नी है तो प्रशिक्षण के दौरान वह अपने सुझाव व प्रस्ताव प्रशिक्षकों के माध्यम से VWSC को दे सकते हैं।

जल सुरक्षा के उपाय:



क्षेत्र	लाभ
फसल विविधकरण (Crop Diversification)	हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मक्का, कपास, दलहन व तिलहनी फसलों के लिए प्रति एकड़ ₹0 7000 व उद्यान विभाग के तहत फलोद्यान विकसित करने के लिए प्रति एकड़ 50% (₹0 32500 से 70000 तक) अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए तीन किस्तों में अनुदान दिया जा रहा है।
डी.एस.आर. (Direct Seeding Rice)	धान की सीधी बुवाई से न केवल पानी की बचत होती है, जबकि पैदावार भी औसतन अच्छी होती है। पारम्परिक विधि से धान की खेती में प्रति एकड़ ₹0 15240 व डी.एस.आर पद्धति से खेती करने में ₹0 11633 का व्यय होता है। जबकि जो DSR के सापेक्ष ₹0 3607 अधिक है। यदि बात आय की करें तो जहां पारम्परिक विधि से प्रति एकड़ ₹0 12560 व DSR पद्धति से ₹0 18967 की आय होती है जो पारम्परिक विधि से ₹0 6407 अधिक है साथ ही सरकार द्वारा

विचार करें !





Thank
you! 🙏

